24

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 155/2021

विवेक मीना, पता–6, शंकर विहार, जगतपुरा, जयपुर, मो0न0 9057689398

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.08.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 155/2021 पर दिनांक 13.08.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2520–21 दिनांक 13.08.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक पीए/आर0टी0आई0–19/2021/421 दिनांक 06.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेक मीना, पता–6, शंकर विहार, जगतपुरा, जयपुर, मो0न0 9057689398 का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 01.07.201 एवं दिनांक 08.07.2021 को इस कार्यालय को प्राप्त होने पर आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जरिये रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय समसख्यक पत्रांक 624–25 दिनांक 30.07.2021 से सूचना दे दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पीए/आर0टी0आई0–19 /2021/421 दिनांक 06.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जबाब प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेक मीना, पता–6, शंकर विहार, जगतपुरा, जयपुर, मो0न0 9057689398 का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 01.07.201 एवं दिनांक 08.07.2021 को उनके कार्यालय को प्राप्त होने पर आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जरिये रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय समसख्यक पत्रांक 624–25 दिनांक 30.07.2021 से सूचना दे दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/09/21

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं